न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :—104/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हनुमानराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गोसांईनगर तहसील सिणधरी		1. वगताराम पुत्र अरजूनराम 2. वाली पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी गोंसाईनगर 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1.श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा—

आदेश

दिनांक— 13.08.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा गोसांई नगर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 120 रकबा 11.1399 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व [illegible] मूलवंश सही नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल के स्थान पर प्रार्थी का गलत नाम हड़मानराम [illegible] रामलाल दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल है। अतः [illegible] द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर हड़मानराम पुत्र रामलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रामलाल दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 3 की तरफ से पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा गोसांई नगर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 120 रकबा 11.1399 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवंश सही नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल के स्थान पर प्रार्थी का गलत नाम हड़मानराम पुत्र रामलाल दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम हड़मानराम पुत्र रामलाल है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर हड़मानराम पुत्र रामलाल होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल ही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज प्रार्थी का नाम हड़मानराम पुत्र रामलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रामलाल दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा गोसांई नगर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 120 रकबा 11.1399 हैक्टेयर भूमि में अवस्थित प्रार्थी का नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थी का नाम हड़मानराम पुत्र रामलाल गलत नाम दर्ज हो रखा है। क्योकि प्रार्थी का सही नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, इस प्रकार प्रार्थी अपने आप को हड़मानराम पुत्र रामलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रामलाल दुरूस्त करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि का सही नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यो–सरकारी दस्तावेजात यथा–, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैनकार्ड, में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम हड़मानराम पुत्र रामलाल इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थीगण का सही नाम हनुमानराम पुत्र रामलाल है, जो दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गोसांई नगर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 120 रकबा 11.1399 हैक्टेयर में भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि हड़मानराम पुत्र रामलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रामलाल दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner